

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्रविश/परिषद सम्बद्धता/2020/5170

तारिख: दिनांक 14-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

प्रथम कार्यालय कार्यालयी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यालय कार्यालयी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा संविधान सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी शैलीय परीक्षाओं का अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को सम्बद्ध प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से अद्यतित संस्थाओं को सम्बद्धता विभाग/पाठ्यक्रम/प्रवेश अर्थात वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करने हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को एच-4 में विद्यार्थी शैलीय परीक्षा पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव प्राप्त गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त प्रवेश-विचार का निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

“सत्र 2020-21 हेतु नवस्थापित होने वाली विद्यार्थी शैलीय परीक्षा संस्थाएं जिन्हें पीठरी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद के सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पीठरी0आई0 अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद के सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीठरी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता बिना किसी सूचना के सन्तान्त कर दी जाएगी।”

अतः निम्नानुसार स्थपित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय को अन्तर्गत पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अर्थात प्रवेश अर्थात हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्थाओं का नाम	पीठरी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रति अर्थात	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रति अर्थात
1	श्री बालीय विद्या कर्मवीर अंगन, शिक्षण-संस्था, शिक्षण सत्र, आनन्दपुर, उत्तरप्रदेश	विद्यार्थी शैलीय परीक्षा	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीठरी0आई0/विद्यार्थी शैलीय परीक्षा की शर्तें शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रेषित उत्तर प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1982, संशोधित विनियमनाली-2018 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य विद्यार्थी शैलीय परीक्षा के लिए प्रति छात्र/छात्रिका पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम हेतु रु०- 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों के अन्तर्गत (दो वर्षों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रेषित करेगी/करायेगी। प्रवेश के अन्तर्गत पाठ्य/पाठ्यक्रमों के शुल्क के सम्बन्ध में प्रवेश-समय का वास्तविक द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रस्तावों पर ध्यान देना। और अनुमोदन कार्यालयी

कार्यालय

उच्च शिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ

संख्या- उच्चशिक्षणपरिषद् सम्बद्धता/2022/10091

लखनऊ दिनांक: 31/10/2022

कार्यालय भाग-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी अनुमोदित और इम्फ्लेक्स, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु विद्यमान सार्वजनिक तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत उच्चशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 21/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता बढ़ि-सहित अन्य गठों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार नई संस्था को उच्चशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 2150-SRI MAHAVEER SINGH PHARMACY COLLEGE

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई-सी-टी-ई/वी-सी-आई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच-आई-सी-टी-ई/वी-सी-आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षण विभाग परिसर 1982 तथा उच्चशिक्षण विभाग परिसर विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु (तीन वर्षों हेतु) पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों कार्यालयी पाठ्यक्रम के अधीन) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेशों पंजीय होना, और तदनुसार कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा। पीएस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु पीएस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीएस की नवीनताम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विनियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, उच्चशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षण विभाग परिसर, उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षण विभाग द्वारा बनाये गये विनियमों, निर्देशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का एच-आई-सी-टी-ई/वी-सी-आई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त

उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिष्ठित शिक्षा निदेशालय एवं प्रतिष्ठित शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद टापर किया जाता है तथा टापर वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कालवकाश उपलब्ध कराने के साथ रेगियुलर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को धराया जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, पानीपार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधानानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एक०आर० खान)

सचिव

पुसं०- प्रतिष्ठित/परिषद सम्बद्धता/2022/10003-10140

दिनांक: 31/10/2022

प्रतिष्ठित

अनामदाई/विद्यार्थी SRI MAHADEER SINGH PHARMACY COLLEGE


(एक०आर० खान)

सचिव